

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-6/2010/नियम/चार

भोपाल, दिनांक ४ अक्टूबर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता भुगतान बावत् ।

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन एरियर्स के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ -8/2009 /नियम/चार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं इस निर्देश के पैरा-2 (क) के अनुसार वेतन एरियर्स की गणना, पुनरीक्षित वेतनमान में देय वेतन+ग्रेड पे में से पूर्व में भुगतान किये गये वेतन, मंहगाई वेतन तथा मंहगाई भत्ता को समायोजित करते हुये की जानी है । अतः इन राशियों के अतिरिक्त नियमानुसार भुगतान की गई अन्य राशियों (यथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ता) का भी यदि देय एरियर्स में समायोजन किया गया है तब उन प्रकरणों में संबंधित शासकीय सेवकों को यह राशि भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अश्विनी कुमार राय)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/
18. मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग